तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/5/17	प्रार्थीगण आज कैम्प कोर्ट डामोड़ी में पेश हुए। पक्षकारान उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण का अवलोकन किया प्रार्थीगण लम्बे समय से जवाब में चल रहे हैं। जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थनापत्र निस्तारण के तीन बिन्दुओं पर विश्लेषण किया गया। (1) प्रथम दृष्टया:- प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। (2) सुविधा का सन्तुलन:- सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। (3) अपूर्णीय क्षति:- अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः प्रार्थनापत्र में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 7/8/2012 को कन्फर्म स्थायी किया जाता है। दौरान दावा दावा के चलने तक अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश को कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थीगण केरल शुगर होल्डर होने जायदाद डिक्लेयर अहल हैं। निर्णय आज दिनांक 8/5/17 को कैम्प कोर्ट डामोड़ी में सुनाया गया। (जयसिंह) कैम्प कोर्ट डामोड़ी उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner